



**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड**  
**Securities and Exchange Board of India**

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क [28 (ए)] के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत मांग की सूचना**

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के कोलकाता में स्थित पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय के वसूली अधिकारी ने निम्नलिखित एंटीटियों ("चूककर्ताओं") को मांग की सूचनाएं ("एनओडी") जारी की थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

चूककर्ता का नाम	मामले का नाम	प्रमाणपत्र सं. और तारीख
एल्कोवेक्स मर्चेन्डाइस	ग्लोब स्टॉक एंड सिक््योरिटीज लिमिटेड	तारीख 18 जून, 2024 का वसूली प्रमाणपत्र (2024 का RC7837)
एन के ट्रेडर्स	ग्लोब स्टॉक एंड सिक््योरिटीज लिमिटेड	तारीख 18 जून, 2024 का वसूली प्रमाणपत्र (2024 का RC7838)
एबीसी एंटरप्राइजेज	ग्लोब स्टॉक एंड सिक््योरिटीज लिमिटेड	तारीख 18 जून, 2024 का वसूली प्रमाणपत्र (2024 का RC7839)
ट्रॉसपॉवर व्यापार	ग्लोब स्टॉक एंड सिक््योरिटीज लिमिटेड	तारीख 18 जून, 2024 का वसूली प्रमाणपत्र (2024 का RC7840)
सावित्री सप्लाइ सिंडिकेट	ग्लोब स्टॉक एंड सिक््योरिटीज लिमिटेड	तारीख 18 जून, 2024 का वसूली प्रमाणपत्र (2024 का RC7841)
उत्तमशाह मर्चेन्ट्स	ग्लोब स्टॉक एंड सिक््योरिटीज लिमिटेड	तारीख 19 जून, 2024 का वसूली प्रमाणपत्र (2024 का RC7847)
पूनम कमार्शियल	ग्लोब स्टॉक एंड सिक््योरिटीज लिमिटेड	तारीख 19 जून, 2024 का वसूली प्रमाणपत्र (2024 का RC7848)
टी. रामा राव	सुपरस्टार लीफिन लिमिटेड	तारीख 18 जून, 2024 का वसूली प्रमाणपत्र (2024 का RC7843)

मांग की सूचना (एनओडी) की तामील अंतिम ज्ञात पते पर डाक के माध्यम से ना हो पाई। नोटिसी मांग की सूचना की प्रति सेबी के वेबसाइट ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)) से डाउनलोड कर सकते हैं, जो इन शिर्षकों के अंतर्गत दी हुई है: "प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) -> वसूली कार्यवाहियाँ" [ENFORCEMENT -> Recovery Proceedings] या वसूली अधिकारी के कार्यालय (जिसका पता नीचे दिया गया है) से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी ([recoverero@sebi.gov.in](mailto:recoverero@sebi.gov.in)) (इन्हें भी कॉपी में रखते हुए: [sudhansus@sebi.gov.in](mailto:sudhansus@sebi.gov.in), [indrajitb@sebi.gov.in](mailto:indrajitb@sebi.gov.in) एवं [aniruddhap@sebi.gov.in](mailto:aniruddhap@sebi.gov.in)) पर ईमेल भेजकर भी प्राप्त कर सकते हैं।

**वसूली अधिकारी**

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड - पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय, कोलकाता  
"एल एण्ड टी चैम्बर्स", 5वीं मंज़िल, 16 कैमक स्ट्रीट,  
कोलकाता - 700017

यदि इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर मांग की सूचना के संबंध में कोई जवाब आदि प्राप्त नहीं होता है, तो वसूली अधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे की कार्यवाही करेंगे।

तारीख: जुलाई 11, 2024

स्थान: कोलकाता

**CBC 15204/11/0067/2425**